हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 65448-65449 दिनांक : 23.06.2023

श्रीमान कलराज मिश्र
माननीय राज्यपाल महोदय,
राजस्थान सरकार, राजभवन,
जयपुर– 302006

माननीय मुख्य न्यायाधीश,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर / जोधपुर

विषयः–श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने से रोकने बाबत।
संदर्भः– आरक्षित वर्ग का आरक्षण बढाने की कवायद।

महोदय,

1. विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत घृणित जातिवादी राजनीति करते हुये उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने की सरेआम घोषणा कर रहे हैं। और इसकी कियान्विति के लिये कवायद भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान पत्रिका दिनांक 22.05.2023 में प्रकाशित प्रमुख खबर की फोटो प्रति संलग्न है।

2. यह सर्वविदित संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी राज्य को किसी भी पिछड़ा वर्ग, समुदाय या जाति को अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण देने का अधिकार तब ही मिलता है जब वह राज्य (स्टेट) संख्यात्मक आंकड़ों से उस पिछड़े वर्ग, समुदाय या जाति का सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (उस पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या अनुपात का 50 प्रतिशत से कम) प्रमाणित कर देती है। और इसके साथ ही संख्यात्मक आंकड़ों से यह भी प्रमाणित कर दिया जाता है कि उस पिछड़ा वर्ग, समुदाय या जाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा इन्द्रा साहनी के प्रकरण में दिये गये निर्णय और संविधान के अनुच्छेद 16(4)बी के प्रावधानानुसार यह सुस्थापित संवैधानिक बाध्यता है कि अनुच्छेद 16(4) के अधिन कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण केन्द्र सरकार को ईडब्ल्यूएस(आर्थिक कमजोर वर्ग) को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 16(6) जोड़ना पड़ा। यह भी सुस्थापित संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं वरन् केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व (उस पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या अनुपात का 50 प्रतिशत) के लिए ही दिया जा सकता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व "पर्याप्त" के दोगुने से भी अधिक हो चुका है। अतः संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तत्काल बंद होना चाहिये।

3. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2019 में धृणित जातिवादी राजनीति करते हुये एमबीसी के नाम से 5 प्रतिशत आरक्षण देते वक्त संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों की जानबूझ कर अवहेलना की गई जो प्रकटतः उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ का अक्षम्य और आपराधिक उल्लंघन है। राज्य के मुख्यमंत्री को उनके पद की संवैधानिक शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की साक्षी में राज्य के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से इसलिए दिलाई जाती है कि वह मुख्यमंत्री अपने कियाकलापों में संविधान के प्रावधानों का और हाईकोर्ट / सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों का अक्षरशः पालन करेगा।

(लगातार–––– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

4. आप यह भली भांति जानते है कि राज़स्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2019 में जो संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया गया था उसके विरूद्ध समता आन्दोलन की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और तीन अन्य याचिकाएँ राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। अब श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सुस्त न्यायिक प्रकिया का अपनी जातिगत राजनीति के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है। श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित सविधान के प्रावधानों का, अनेक संविधान पीठों के बाध्यकारी निर्णयों का तथा अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किये जाने के दुराशय से आरक्षित वर्ग का आरक्षण अविधिक एवं असंवैधानिक तरीके से बढाने की कवायद की जा रही है। श्रीमान अशोक गहलोत की यह कार्यशैली रही हैं कि वे अपने चेहेते किसी सेवानिवृत भ्रष्ट आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में समिति बनाकर फर्जी आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आम जनता की आंखों में धूल झोंककर अपने घृणित जातिवादी कृत्यों को अंजाम देते हैं– भटनागर समिति रिपोर्ट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा ओबीसी आयोग में भी अपने चेहेते लोगों को बैठाकर फर्जी आंकड़े संग्रहित करवाकर मनोवांछित रिपोर्ट करवाकर अपने घृणित जातिवादी कृत्यों को अंजाम दिया जाता है– वर्ष 2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार बनवाई गई ओबीसी आयोग (इसरानी आयोग) की रिपोर्ट को निरस्त किया जा चुका है।

5. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा अपनी घृणित जातिवादी राजनीति के अपवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो आरक्षित वर्ग का आरक्षण अविधिक/असंवैधानिक रूप से बढाने की घोषणा की गई है उसे पूरा करने के लिए या तो किसी भ्रष्ट सेवानिवृत आईएएस की सेवाएं खरीदी जायेगी या ओबीसी आयोग में अपने चेहेते नुमाइन्दों को बैठाकर मनोवांछित रिपोर्ट ली जायेगी और पुनः न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आम जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए न्यायिक निर्णयों, संविधान के प्रावधानों और अपनी संवैधानिक शपथ का सरे आम उल्लंघन किया जायेगा।

आप दोनों श्रीमान राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। आप दोनों का ही यह सर्वप्रथम और परम पवित्र कर्तव्य हैं कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक व्यवस्थाओं और न्यायपालिका के निर्णयों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को उपरोक्तानुसार संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठों के निर्णयों और अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने से रोकने का अनुग्रह करे।

त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

संलग्नः– राज.पत्रिका की खबर की फोटो प्रति
अंक 65450 to 65645

प्रतिलिपिः– सभी सम्मानीय विधायकगणों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

गहलोत का चुनावी दांव : कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के लिए केंद्र को लिखा है पत्र

ओबीसी-एससी-एसटी आरक्षण बढ़ेगा, सरकार कराएगी रिव्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का दांव चल दिया है। प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले ओबीसी कमीशन पूरा रिव्यू करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में संकेत दिए हैं। गहलोत के इस दांव से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के वोटों का कांग्रेस को लाभ मिल सकता है।

रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी में गहलोत ने कहा कि ओबीसी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वे ज्यादा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस बारे में नए सिरे से इसको देखें। किस प्रकार से हमें 27 फीसदी तक जाना है। एससी-एसटी का भी आरक्षण कहां तक ले जाना है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये तमाम काम हम कमीशन के माध्यम से करवाएंगे और इसमें किसी को राजनीति करने और माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के रायपुर में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने तो जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा है। सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और ये सरकार की ड्यूटी भी है।

पहले भी बढ़ाया था आरक्षण का दायरा

गहलोत ने कहा कि जब मैं पहली बार सीएम बना था तो ओबीसी का 21 फीसदी आरक्षण लागू हुआ। एससी-एसटी का आरक्षण डबल किया गया। एससी को 8 का 16 और एसटी को 6 का 12% आरक्षण हमने किया था। हम आगे भी सोच-समझकर फैसला करेंगे।

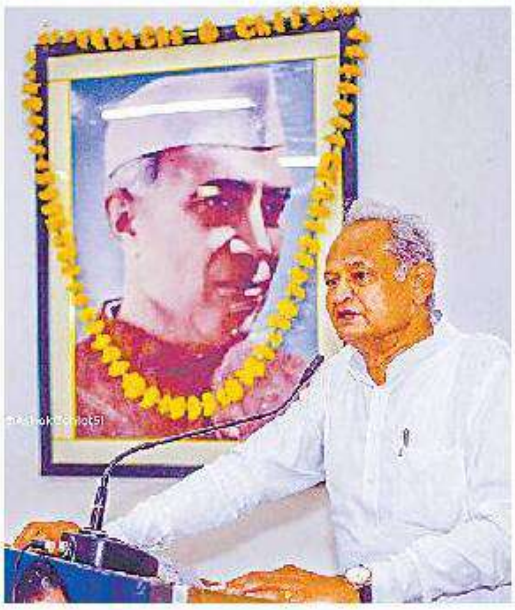

काम कानून सम्मत और पक्का हो

गहलोत ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। उनके दिलों में ओबीसी के प्रति कोई प्यार नहीं है। गहलोत ने कहा कि काम ऐसा होना चाहिए जो कानून सम्मत और पक्का हो। हमने देखा था कि एमबीसी आरक्षण में गुर्जर, राइका और बंजारों ने कितना लंबा संघर्ष किया, कितनी ही बार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तब भी हमारे तरीके से आज उनको 5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और हजारों लोगों की नौकरियां लग रही हैं। गहलोत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के अंदर हमने सब शर्तें हटा दीं और अब इन्हें भी लाभ मिलने लगा है।

बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कुछ माह पहले जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।